30. श्री ए.डी.जे. पाण्डियन एस्टेट (प्रा.) लि. प्रमल, बी. पी. रथिनस्वामी नादार रोड, मदुराई, तमिलनाडु . . . सदस्य

31. श्री आर. हनुमन्तराव हिस्सेदार, मैसर्स जयलक्ष्मी एक्सपोर्टस, डोर नं. 6472 बाजार रोड, कोचीन, ... सदस्य

32. श्री वी.के. जार्ज, अध्यक्ष, आई. एन. टी. यू. सी. केरल स्टेट, करिमट्टम डा.डक्कारी मेट्टू जिला–इड्डुकी । . . . . सदस्य

दिल्ली की ऊंची इमारतों में आग

1767. **श्री सन्तोष बागड़ोदिया** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान दिल्ली की कितनी ऊंची इमारतो में आग लगी तथा प्रत्येक का नाम और ब्यौरा क्या है ;

(ख) उपरोक्त में से प्रत्येक आग की घटना में कितने व्यक्तियों की मत्यु हुई या कितने व्यक्ति घायल हुए ; और

(ग) उन ऊंची इमारतों के मालिकों के खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही कर रही है जिनका डिजाइन/नक्शा दोषपूण है तथा जिन्होंने उनमें आग बुझाने के उपयुक्त प्रबन्ध नहीं किये थे ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) 1985–86 से 1987–88 तक दिल्ली में ऊंची इमारतों में आग लगने की 297 घटनाएं हुई थी जिसके बारे मे वर्षवार विवरण संलग्न है । [देखिए परिशिष्ट CXLVII, अनुपत्र स. 73]

(ख) मत्यु हुई––40 व्यक्ति घायल हुए––141 व्यक्ति

(ग) ऊंची इमारतों के मालिकों/दखलदारों को छः महीने की अवधि में आवश्यक अग्नि सुरक्षा अपेक्षाएं पूरी करने के निर्देश दिए गए थे । नोटिस की अवधि पूरी होने के बाद नोटिसों के अनुपालन का पता लगाने की दृष्टि से नया सर्वेक्षण किया गया । मुख्य अग्नि सुरक्षा अधिकारी ने भवन मालिकों को 30 दिन के अन्दर अपनी कार्य योजना प्रस्तुत करने के लिए नए नोटिस जारी किए हैं ।

हिन्दी कार्यशालाएं

1768. **श्री सन्तोष बागड़ोदिया** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत सरकार के प्रत्येक मत्रालय में अधिकारियों और कर्मचारियों को हिन्दी में प्रशिक्षण देने के लिए कितनी कार्यशालाएं आयोजित की गई ;

(ख) प्रत्येक मंत्रालय में कितने-कितने अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने इन कार्यशालाओं में भाग लिया,; और

(ग) इस प्रकार की कार्यशालाओं से प्राप्त परिणामों का विवरण क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) और (ख) संबंधित सूचना संलग्न विवरण में है । (नीचे देखिए):

(ग) विभिन्न मत्रालयों/विभागों में हिन्दी में कार्यसाधक अथवा उससे उच्चतर ज्ञान प्राप्त अधिकारियों व कर्मचारियों को कार्यालयीन हिन्दी में अपेक्षित ज्ञान दिया जाता है और प्रशासनिक-कार्य के लिए हिन्दी लिखने का अभ्यास कराया जाता है । इससे उनके हिन्दी में प्रशासनिक काम करने का आत्मविश्वास उत्पन्न होता है और फलस्वरूप सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग में उत्तरोत्तर वद्धि हुई है ।